न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 102 / 2017 / बाड़मेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
1. मलूका पत्नी साधक उर्फ सादिक अली उम्र 70 वर्ष	**बनाम**	1.सादीक अली उर्फ साधक पुत्र सदीक उम्र 82 (फौत नाम वि.)
2. सकूर खां पुत्र साधक उर्फ सादिक अली उम्र 40 वर्ष		2.मोहम्मद अली पुत्र सादीक अली उम्र 53 वर्ष
3. सलीम खां पुत्र साधक उर्फ सादिक अली उम्र 35 वर्ष		3.अहमद अली पुत्र सादीक अली उम्र 42 वर्ष
4. सुलाया पुत्री सादिक अली उम्र 50 वर्ष जाति मुसलमान निवासी बुरहान का तला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर (राजस्थान)		4.एहसान अली पुत्र सादीक अली उम्र 47 वर्ष 5.मोहम्मद खां पुत्र सादीक अली उम्र 46 वर्ष 6.गुलाम रसूल पुत्र सादीक अली उम्र 40 वर्ष जाति मुसलमान निवासी बुरहान का तला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर राज.

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर चौहटन द्वारा विविध राजस्व आवेदन संख्या 294 / 2017 बअनवान मलूका वगैरह बनाम सादिक वगै. में पारित आदेश दिनांक 13.11. 2017 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री हुकमसिंह चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री केशराराम विश्नोई रेस्पोडेंट संख्या 02 से 05 की ओर से।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

निर्णय

दिनांकः– **13.11.2019**

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता संख्या 01 सादीक अली ने अपीलांटगण व उतरदाता संख्या 02 से 06 के बीच आज से करीबन 35 साल पूर्व मौखिक बंटवाड़ा किया था तथा ग्राम बुरहान का तला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 183 रकबा 02.10 बीघा गैर मुमकिन ढाणी, खसरा संख्या 182 रकबा 110.07 बीघा, खसरा संख्या 185 रकबा 56 बीघा कुल रकबा 168.17 बीघा में से 1/2 हिस्से की भूमि दानदाता उतरदाता संख्या 01 ने अपीलांटगण को मौखिक

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

दान के मार्फत दान देने की घोषणा की तथा दानग्रहिता अपीलांट संख्या 01 ने उपरोक्त खसरे की भूमि में 1/2 हिस्सा की 84.08.10 बीघा भूमि अपने एवं अपीलांट संख्या 02 से 04 नाबालिग की तरफ से दान के रूप में प्राप्त करते हुए स्वीकृति दी तब उपरोक्त खसरों की दान भूमि का उतरदाता संख्या 01 ने अपीलांटगण को उस समय कब्जा का प्रदाय कर दिया था। उक्त बंटवाड़े व दान के क्रम में उतरदाता संख्या 01 सादीक अली से उतरदाता संख्या 02 से 06 को अपने पक्ष में उपरोक्त खसरों की भूमि में से उतरदाता संख्या 02 से 06 को अपने पक्ष में उपरोक्त खसरों की भूमि में से 1/2 हिस्से की भूमि दान पत्र या विक्रय पत्र निष्पादित करवाना चाहिये था जबकि 1/2 हिस्से की 84.08.10 बीघा भूमि का बेचान ज्यादा करवाया गया है। अपीलाधीन बेचान के समय उतरदाता संख्या 01 सादीक अली की दिमागी हालत ठीक नही होने, बीमार होने चल–फिर सकने में असमर्थ होने का नाजायज लाभ उठाकर एवं अपीलांटगण को उपरोक्त दान में दी गई भूमि से महरूम रखने की नीयत से उपरोक्त खसरों की भूमि में से उतरदाता संख्या 02 से 06 ने अपने पक्ष में अलग–अलग बेचानों के मार्फत कुल 166.08 बीघा भूमि का बेनामी विक्रय पत्र निष्पादित करवा कर पंजीकृत करवा दिया। मौखिक बंटवाड़ा करने का मुख्य कारण यह रहा कि उतरदाता संख्या 01 सादीक अली ने दो शादीयां की थी, उसकी प्रथम पत्नी मृतका मीठा की कोख से उतरदाता संख्या 02 से 06 पैदा हुए थे तथा दूसरी शादी अपीलांट संख्या 01 मलूका से उतरदाता संख्या 01 सादक अली ने की थी। मुस्लिम विधि के तहत एक मुसलमान चार पत्नियां रख सकता है। द्वितीय पत्नी अपीलांट संख्या 01 मलूका के वंशज अपीलांट संख्या 02 से 04 और प्रथम पत्नी मृतका मीठा वंशज उतरदाता संख्या 02 से 06 के बीच निकट भविष्य में किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा न हो तब उपरोक्त प्रकार से बंटवाड़ा कर मौखिक रूप से दान कर दिया था। मुस्लिम विधि में मौखिक दान मान्य किया गया है उसका रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक नहीं है और न ही दान लिखित में होना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में न तो प्रथम दृष्टया मामला का हवाला दिया और न ही अपूरणीय क्षति का हवाला दिया और न ही सुविधा का संतुलन का हवाला दिया और न ही न्याय के हित के बिंदु को ही विचार में लिया। बिना कारण बताये अस्पष्ट आधारों पर अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा देने से इंकार किया है जो आदेश मनमाना, अनुचित व अन्यायपूर्ण होने से काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता अपीलांट की पत्रावली पर एकतरफा बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि उतरदाता संख्या 01 सादीक अली ने अपीलांटगण व उतरदाता संख्या 02 से 06 के बीच आज से करीबन 35 साल पूर्व मौखिक बंटवाड़ा किया था तथा ग्राम बुरहान का तला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 183 रकबा 02.10 बीघा गैर मुमकिन ढाणी, खसरा संख्या 182 रकबा 110.07 बीघा, खसरा संख्या 185 रकबा 56 बीघा कुल रकबा 168.17 बीघा में से 1/2 हिस्से की भूमि दानदाता उतरदाता संख्या 01 ने अपीलांटगण को मौखिक दान के मार्फत दान देने की घोषणा की तथा दानग्रहिता अपीलांट संख्या 01 ने उपरोक्त खसरे की भूमि में 1/2 हिस्सा की 84.08.10 बीघा भूमि अपने एवं अपीलांट संख्या 02 से 04 नाबालिग की तरफ से दान के रूप में प्राप्त करते हुए स्वीकृति दी तब उपरोक्त खसरों की दान भूमि का उतरदाता संख्या 01 ने अपीलांटगण को उस समय कब्जा का प्रदाय कर दिया था। उक्त बंटवाड़े व दान के क्रम में उतरदाता संख्या 01 सादीक अली से उतरदाता संख्या 02 से 06 को अपने पक्ष में उपरोक्त खसरों की भूमि में से उतरदाता संख्या 02 से 06 को अपने पक्ष में उपरोक्त खसरों की भूमि में से 1/2 हिस्से की भूमि दान पत्र या विक्रय पत्र निष्पादित करवाना चाहिये था जबकि 1/2 हिस्से की 84.08.10 बीघा भूमि का बेचान ज्यादा करवाया गया है। अपीलाधीन बेचान के समय उतरदाता संख्या 01 सादीक अली की दिमागी हालत ठीक नही होने, बीमार होने चल–फिर सकने में असमर्थ होने का नाजायज लाभ उठाकर एवं अपीलांटगण को उपरोक्त दान में दी गई भूमि से महरूम रखने की नीयत से उपरोक्त खसरों की भूमि में से उतरदाता संख्या 02 से 06 ने अपने पक्ष में अलग–अलग बेचानों के मार्फत कुल 166.08 बीघा भूमि का बेनामी विक्रय पत्र निष्पादित करवा कर पंजीकृत करवा दिया। मौखिक बंटवाड़ा करने का मुख्य कारण यह रहा कि उतरदाता संख्या 01 सादीक अली ने दो शादीयां की थी, उसकी प्रथम पत्नी मृतका मीठा की कोख से उतरदाता संख्या 02 से 06 पैदा हुए थे तथा दूसरी शादी अपीलांट संख्या 01 मलूका से उतरदाता संख्या 01 सादक अली ने की थी। मुस्लिम विधि के तहत एक मुसलमान चार पत्नियां रख सकता है। द्वितीय पत्नी अपीलांट संख्या 01 मलूका के वंशज अपीलांट संख्या 02 से 04 और प्रथम पत्नी मृतका मीठा वंशज उतरदाता संख्या 02 से 06 के बीच निकट भविष्य में किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा न हो तब उपरोक्त प्रकार से बंटवाड़ा कर मौखिक रूप से दान कर दिया था। मुस्लिम विधि में मौखिक दान मान्य किया गया है उसका रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक नहीं है और न ही दान लिखित में होना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में न तो प्रथम दृष्टया मामला का हवाला दिया और न ही अपूरणीय क्षति का हवाला दिया और न ही सुविधा का संतुलन का हवाला दिया और न ही न्याय के हित के

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

बिंदु को ही विचार में लिया। बिना कारण बताये अस्पष्ट आधारों पर अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा देने से इंकार किया है जो आदेश मनमाना, अनुचित व अन्यायपूर्ण है। अधिवक्ता अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

DNJ 2014(1)(Raj.) Page 35
RRT 2013(1) Page 515
RRT 2013(1) Page 667

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जाकर वादग्रस्त भूमि की मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु ताफैसला आदेश फरमाया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश अंतरिम होने से उसकी अपील नहीं हो सकती है। अंतरिम आदेश के विरूद्ध न्यायालय हाजा में भी अपीलांट का आवेदन खारिज किया गया। अपीलांट का आवेदन अंतरिम खारिज के बाद भी मौके पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। दावा आवेदन संख्या 262/2017 में मौखिक दान का उल्लेख नहीं है। मुस्लिम विधि में अपनी पैतृक सम्पति को विक्रय का अधिकार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील मय खर्चा खारिज फरमाई जावे।

माननीय मण्डल द्वारा निगरानी/टीए/7206/2017/बाड़मेर में पारित आदेश दिनांक 05.12.2017 में न्यायालय हाजा को निर्देश प्रदान किये गये कि विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब कर स्थगन प्रार्थना–पत्र का विधि सम्मत तरीके से निस्तारण करें इसलिए न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण को सुना जाना न्यायोचित एवं विधि सम्मत है।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मामला पृथमदृष्टया, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति अपीलांटगण के पक्ष में है या नहीं इस आशय का विवेचन नहीं किया गया। मुस्लिम विधि में मौखिक दान का प्रावधन है और यदि हस्तगत प्रकरण में मौखिक दान से संबंधित होने से अपीलांटगण के हित प्रभावित होते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। वादग्रस्त आराजी का उतरदातागण द्वारा मौके एवं रेकर्ड की स्थिति में रदोबदल होने की पूरी आशंका है। यदि वादग्रस्त आराजी का आगे से आगे बेचान हो जाता है तो अपीलांटगण के हितों पर कुठाराघात संभाव्य है। इस

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

दृष्टि से मामला पृथमदृष्टया, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति अपीलांट के पक्ष में प्रतीत होते हैं। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील स्वीकार करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर चौहटन द्वारा विविध राजस्व आवेदन संख्या 294/2017 बअनवान मलूका वगैरह बनाम सादिक वगै. में पारित आदेश दिनांक 13.11.2017 को अपास्त किया जाता है तथा रेस्पोडेंटस को जरिये अस्थाई व्यादेश पाबंद किया जाता है कि वे मामले के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजी के मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

13/11/19

(नाथूसिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 13.11.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

13/11/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner